प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 109 / 2023

अनवान : –

1. उग्रसेनसिंह पुत्र कृष्णसिंह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. किशन सिंह पुत्र पूर्णसिंह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. नेतावरी कंवर पुत्री पूर्णसिंह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
3. पाली देवी पुत्री पूर्णसिंह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
4. कमला कंवर पुत्री पूर्णसिंह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
5. मीरा कुमारी पुत्री कृष्णसिंह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
6. सन्तोष कंवर पुत्री कृष्णसिंह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
7. भावना राठौड़ पुत्री कृष्णसिंह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
8. लक्ष्मीकंवर पुत्री कृष्णसिंह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **वादी**
श्री मांगीराम बैनीवाल अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक: 30.05.2023**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 300 / 279 की कुल 11.3060 हैक्ट भूमि में से 1265 / 11306 हिस्सा भूमि पूर्णसिंह पुत्र भैरूसिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पूर्णसिंह पुत्र भैरूसिंह के नाम दर्ज है। पूर्णसिंह पुत्र भैरूसिंह जो कि वादी का पिता है का देहान्त हो चुका है। पूर्णसिंह पुत्र भैरूसिंह के जायज वारिसान सजरा खानदान के अुनसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 8 जो की पूर्णसिंह पुत्र भैरूसिंह के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रतिवादीगण स0 1 ता 8 ने अपना समस्त हक हिस्सा वादी के पक्ष में परित्याग कर दिया है। अब उनका वाद भूमि में कोई हक व हिस्सा [illegible] रहा है। इस प्रकार वादी स्वयं की 3.716 हैक्ट भमि व पूर्णसिंह के हिस्से [illegible] कुल 4.981 हैक्ट भूमि का अकेला खातेदार काश्तकार है तथा राजस्व रिकार्ड में [illegible]सिंह वल्द भैरूसिंह [illegible]नाम कलमजन

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:35:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

करवाकर उपरोक्तानुसार वाद भूमि दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। वादी उपरोक्त आशयों की घोषणा करवा पाने का अधिकारी हैं

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 व 8 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थितह होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी सं0 9 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में जमाबंदी रोही मौजा सोनड़ी सम्वत 2070–73 के खाता स0 300/279 ईएक्सपी–1, मृत्यु प्रमाण पत्र पूर्णसिंह ईएक्सपी–2, शपथ पत्र बाबत सदस्य ईएक्सपी–3, वार्ड पंच सोनड़ी द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श–4 आदि प्रदर्शित करवायें।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया है।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 8 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार प्रस्तुत वाद में रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 300/279 की कुल 11.3060 हैक्ट भूमि में से 1265/11306 हिस्सा भूमि पूर्णसिंह पुत्र भैरूसिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि वाद भूमि वादी के पिता पूर्णसिंह पुत्र भैरूसिंह के नाम दर्ज है पूर्णसिंह पुत्र भैरूसिंह देहान्त हो चुका है जिनके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 8 का वाद भूमि में हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी स0 1 ता 8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग कर दिया है वादी के कथनो को प्रतिवादी स0 1 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल जवाब पेश किया जा चुका है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण स0 1 ता 8 को कोई एतराज नही है। वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 8 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:35:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 300/279 के ख0न0 154 की 2.2640 हैक्ट, ख0न0 161/2 की 1.9440 हैक्ट, ख0न0 161/3 की 3.9620 हैक्ट, ख0न0 69 की 3.1360 हैक्ट भूमि में से 4.981 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। मृतक पूर्णसिंह वल्द भैरूसिंह का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन कर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट– सोनड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:35:14 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 109/2023

अनवान : –

1. उग्रसेनसिंह पुत्र कृष्णसिंह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. किशन सिंह पुत्र पूर्णसिंह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. नेतावरी कंवर पुत्री पूर्णसिंह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
3. पाली देवी पुत्री पूर्णसिंह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
4. कमला कंवर पुत्री पूर्णसिंह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
5. मीरा कुमारी पुत्री कृष्णसिंह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
6. सन्तोष कंवर पुत्री कृष्णसिंह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
7. भावना राठौड़ पुत्री कृष्णसिंह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
8. लक्ष्मीकंवर पुत्री कृष्णसिंह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 109 सन 2023 निर्णय दिनांक 30.05.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 300/279 के ख0न0 154 की 2.2640 हैक्ट, ख0न0 161/2 की 1.9440 हैक्ट, ख0न0 161/3 की 3.9620 हैक्ट, ख0न0 69 की 3.1360 हैक्ट भूमि में से 4.981 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। मृतक पूर्णसिंह वल्द भैरूसिंह का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन कर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 30/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:35:14 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट– सोनड़ी